New Delhi, the 3rd March, 2017

G.S.R. 62.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Directorate of Adult Education, Ministry of Human Resource Development, the Department of School Education and Literacy, Senior Library Attendent, Recruitment Rules, 2015, namely :-

1. **Short title and commencement.-(1)** These rules may be called the Directorate of Adult Education, Ministry of Human Resource Development, Department of School Education and Literacy, Senior Library Attendant (Group 'C' post), (Amendment) Recruitment Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Directorate of Adult Education, the Ministry of Human Resource Development, the Department of School Education and Literacy, Senior Library Attendent (Group 'C' post) Recruitment Rules, 2015,-

(1) In rule 2, for the words, "pay band and grade pay or pay scale" in both the places where they occur, the words "level in the pay matrix" shall be substituted;

(2) in the Schedule, in column (4),-

(a) for the heading, the following heading shall be substituted, namely;

"Level in the pay matrix";

(b) for the entries the following entries shall be substituted, namely:-

"Level, 1(Rs.18000-56900) in the Pay Matrix".

[F.No. 19-2/2015-A.E.I]

JUGLAL SINGH, Dy. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India , Part II, Section 3, Sub-section (i) vide Notification Number G.S.R. 589(E), dated the 28th July, 2015.

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय

नई दिल्ली, 17 फरवरी, 2017

सा.का.नि.63.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड, गेस्टेटनर ऑपरेटर (ज्येष्ठ) समूह 'ग' भर्ती नियम, 2015 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:–

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड, गेस्टेटनर ऑपरेटर (ज्येष्ठ) समूह 'ग' भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड, गेस्टेटनर ऑपरेटर (ज्येष्ठ) समूह 'ग' भर्ती नियम, 2015 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त नियम निर्दिष्ट किया गया है) में, नियम 2 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:–

"2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर 1.- उक्त पद की संख्या; उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।"

3. उक्त नियमों की अनुसूची में, स्तंभ (4) में,-

(क) स्तंभ शीर्षक के स्थान पर, निम्नलिखित स्तंभ शीर्षक रखा जाएगा, अर्थात्:–

"वेतन मैट्रिक्स में स्तर";

(ख) प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएaगी, अर्थात्:–

"वेतन मैट्रिक्स में स्तर-2 (19900 रुपए)"।

[फा.सं. 23/06/2016-के.भू.ज.बो.]

पी. देब, अवर सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र में सा.का.नि. संख्या 177, तारीख 19 सितम्बर, 2015 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF WATER RESOURCES, RIVER DEVELOPMENT AND GANGA REJUVENATION

New Delhi, the 17 th February, 2017

G.S.R. 63.—In the exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, the Central Ground Water Board, Gestetner Operator (Senior), Group 'C' Post, Recruitment Rules, 2015, namely:-

1. (1) These rules may be called the Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, the Central Ground Water Board, Gestetner Operator (Senior), Group 'C' Post, Recruitment (Amendment) Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, the Central Ground Water Board, Gestetner Operator (Senior), Group 'C' Post, Recruitment Rules, 2015 (hereinafter referred to as the said rules), for rule 2, the following rule shall be substituted, namely:-

"**2. Number of post, classification and level in pay matrix.**— The number of said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in column (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules".

3. In the Schedule to the said rules, in column (4),-

(a) for the column heading, the following column heading shall be substituted, namely:-

"Level in pay matrix";

(b) for the entries, the following entries shall be substituted, namely:-

"Level-2 (Rs.19900) *in the pay matrix*".

[F. No. 23/06/2016-CGWB]

P. DEB, Under Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India vide number G.S.R. 177, dated the 19th September, 2015.

नई दिल्ली, 17 फरवरी, 2017

सा.का.नि. 64.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जल संसाधन मंत्रालय, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड, बहु कार्य कर्मचारीवृंद, समूह "ग" पद, भर्ती नियम, 2016 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:–

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड, बहु कार्य कर्मचारीवृंद, समूह "ग" पद, भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. जल संसाधन मंत्रालय, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड, बहु कार्य कर्मचारीवृंद समूह "ग" पद भर्ती नियम, 2016 में, (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त नियम कहा गया है), नियम 1 के उप-नियम (1) में "जल संसाधन मंत्रालय" शब्दों के स्थान पर "जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय" शब्द रखे जाएंगे।

3. उक्त नियमों में, नियम 2 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:–

"2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर-उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर को इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट किया जाएगा।"

4. उक्त नियमों की अनुसूची के स्तंभ (4) में-

(क) शीर्षक स्तंभ के स्थान पर, निम्नलिखित स्तंभ शीर्षक रखा जाएगा, अर्थात्:–

"वेतन मैट्रिक्स में स्तर";

(ख) प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:–

"वेतन मैट्रिक्स में स्तर 1 (18,000 रुपए)"

[फा. सं. 23/07/2016-सीजीडब्ल्यूबी]

पी. देब, अवर सचिव

टिप्पण:- मूल नियम, संख्या सा.का.नि. 50, तारीख 26 मार्च, 2016 द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे।

नई दिल्ली, 15 सितम्बर, 2015

सा.का.नि.177.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड गेस्टेटनर ऑपरेटर (ज्येष्ठ) भर्ती नियम, 1973 को, उन बातों के सिवाये अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है, या करने का लोप किया गया है, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय में गेस्टेटनर ऑपरेटर (ज्येष्ठ) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड, गेस्टेटनर ऑपरेटर (ज्येष्ठ) समूह "ग" भर्ती नियम, 2015 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.**—पदों की संख्या, उसका वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि.**—भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हताएं.**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत,आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृति.**—इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
गेस्टेटनर ऑपरेटर (ज्येष्ठ)	08* (2015) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन बैंड 1, 5200-20,200 + ग्रेड वेतन 1900 रु.	अचयन	18 और 27 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए साधारण अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके 40 वर्ष तक और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके 45 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है ।)

(6)
टिप्पण 1 : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-खंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।) **टिप्पण 2 :** रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली नियुक्ति की दशा में, आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस पर रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)
(i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से 10+2 कक्षा उत्तीर्ण; (ii) गैस्टेटनर डुप्लीकेटिंग मशीन चलाने में प्रवीणता हो।	नहीं	दो वर्ष

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(10)	(11)
शत-प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	**प्रोन्नति :** ऐसे दफ्तरी जिन्होंने उस श्रेणी में चार वर्ष नियमित सेवा की है। प्रशिक्षण : निम्नलिखित में एक सप्ताह का प्रशिक्षण अर्थात्:- (i) प्राप्त कागज-पत्रों तथा अन्य वस्तुएं और उपयुक्त वस्तुओं के लिए एक रजिस्टर के अनुरक्षण। (ii) फोटो कापियर मशीन के प्रचालन। (iii) फोटो कापियर मशीन के सुनिश्चित रखरखाव। (iv) फोटो कापियर कागजों की प्राप्ति और उपयोग तथा अन्य वस्तुओं के लिए एक रजिस्टर के अनुरक्षण,

(11)
(v) इस प्रकार कापी किए गए उस सामग्री का जब कभी इस प्रकार अपेक्षित हो सेट तैयार करने ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :– (i) निदेशक (प्रशासन), केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड —अध्यक्ष (ii) अधीक्षण इंजीनियर या वैज्ञानिक 'घ', केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड —सदस्य (iii) केन्द्रीय सरकार के किसी अन्य विभाग से एक अधिकारी, जो अधीक्षण इंजीनियर या वैज्ञानिक 'घ' की पंक्ति से कम का न हो —सदस्य (iv) ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी या प्रशासनिक अधिकारी, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड —सदस्य **समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :–** (i) निदेशक (प्रशासन), केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड —अध्यक्ष (ii) अधीक्षण इंजीनियर या वैज्ञानिक 'घ', केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड —सदस्य (iii) ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी या प्रशासनिक अधिकारी, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड —सदस्य	लागू नहीं होता ।

[फा. सं. 23/36/2009-सीजीडब्ल्यूबी]

विनीत अब्राहम, अवर सचिव

New Delhi, the 15th September, 2015

G.S.R.177.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Central Ground Water Board Gestetner Operator (Senior) Recruitment Rules, 1973, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Gestetner Operator (Senior) in the Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, the Central Ground Water Board, namely:-

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, the Central Ground Water Board, Gestetner Operator (Senior), Group'C' Post, Recruitment Rules, 2015.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and Pay Band and Grade Pay or Pay Scale.—The number of posts, its classification and the Pay Band and Grade Pay or Pay Scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc..—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualifications.—No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of posts	Classification	Pay Band and Grade Pay or Pay Scale	Whether selection or non-selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Gestetner Operator (Senior)	08* (2015) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C' Non-Gazetted, Ministerial.	Pay Band-1, (Rs. 5200—20200) and Grade Pay Rs. 1900	Non-Selection Post	Between 18 and 27 years (Relaxable for Government servants up to the age of 40 years in the case of general candidates and upto 45 years in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). **Note 2 :** The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India, (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul

(6)
and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep). **Note 2 :** In the case of recruitment made through the employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date up to which the Employment Exchange is asked to submit the names.

Educational and other qualification required for direct recruitment	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(7)	(8)	(9)
(i) 10+2 Standard pass from a recognised Board; (ii) should have proficiency of handling the Gestetner Duplicating Machine.	No	Two years

Method of recruitment : Whether by direct or by promotion or deputation/absorption and percentage of the post to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grade from which promotion or deputation/absorption is to be made
(10)	(11)
Hundred percent by Promotion failing which by direct recruitment	**Promotion :** Daftry with four years regular service in the grade. **Training :** One week training on the following, namely :— (i) Maintenance of a register for the papers and other items received and consumed; (ii) to operate photo-copier machine; (iii) to ensure upkeep of the photo copier; (iv) to maintain a register for receipt and use of photo-copier papers and other items; (v) to prepare sets of the material so copied when so required.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) cosisting of :— (i) Director (Administration) Central Ground Water Board —Chairman	Not applicable.

(12)	
(ii) Superintending Engineer or Scientist 'D' Central Ground Water Board	—Member
(iii) An officer of any ohter Cnetral Government Department not below the rank of Superintending Engineer or Scientist 'D'	—Member
(iv) Senior Administrative Officer or Administrative Officer, Central Ground Water Board	—Member
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) cosisting of :—	
(i) Director (Administration) Central Ground Water Board	—Chairman
(ii) Superintending Engineer or Scientist 'D' Central Ground Water Board	—Member
(iii) Senior Administrative Officer or Administrative Officer, Central Ground Water Board	—Member

[F. No. 23/36/2009-CGWB]

VINEETH ABRAHAM, Under Secy.

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, 8 सितम्बर, 2015

सा.का.नि.178.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रेल सेवक (अनुशासन और अपील) नियम, 1968 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रेल सेवक (अनुशासन और अपील) संशोधन नियम, 2015 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. रेल सेवक (अनुशासन और अपील) नियम, 1968 के नियम 6 में, स्पष्टीकरण में मद (ix) के पश्चात निम्नलिखित मद अंत: स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(x)नियम 9 के उप-नियम (2) के परंतुक में निर्दिष्ट रेल सेवा (आचरण) नियम, 1966 के नियम 3 ग के अर्थ के अंतर्गत लैंगिक उत्पीड़न की किसी भी शिकायत की जांच के लिए रेल मंत्रालय के अधीन यूनिट में स्थापित शिकायत समिति की सिफारिश पर दिया गया कोई भी प्रतिकर" ।

[फा. सं. ई (डी एंड ए) 2015-आरजी 6-2]

राजीव किशोर, कार्यपालक निदेशक/ईआरपी

टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र अधिसूचना सं. का.आ. 3181, तारीख 14-9-1968 के द्वारा प्रकाशित किए गए थे तथा पत्पश्चात् निम्नलिखित द्वारा संशोधित किए गए :—

1. का.आ.सं. 5131 तारीख 26 अप्रैल, 1969
2. का.आ.सं. 1925 तारीख 8 मई, 1971
3. का.आ.सं. 2501 तारीख 3 जुलाई, 1971
4. का.आ.सं. 5078 तारीख 6 नवम्बर, 1971